कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.

e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in Telephone No. : (07632) 247044

बालाघाट, दिनांक 08/04/2023

क्रमांक/मा.चि.–1 / 734

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बालाघाट वनवृत्त बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में परसवाड़ा तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत चालीसबोड़ी–कुल्पा–माटे व्हाया बम्हनी मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि रकबा 5.988 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबद् (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/156090/2022)

संदर्भ :– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 2 बालाघाट (म.प्र.) का ज्ञापन क्रमांक /79/तक/म.प्र.ग्रा.स.प्रा./2023 बालाघाट दिनांक 16.01.2023

–––000–––

निवेदन है कि विषयांतर्गत महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक–2 बालाघाट के संदर्भित पत्र से बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील अन्तर्गत चालीसबोड़ी–कुल्पा–माटे व्हाया बम्हनी मार्ग तक प्रस्तावित मार्ग में डामरीकरण कार्य कराये जाने हेतु रकबा 5.988 हेक्टेयर वनभूमि व्यपर्तन का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

आवेदित क्षेत्र का संबंधित उपवनमण्डलाधिकारी उकवा उपवनमण्डल द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के उपरांत उनके पत्र क्रमांक 788 दिनांक 07.04.2023 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा के वनक्षेत्रांतर्गत निम्नानुसार संरक्षित/आरक्षित वनक्षेत्र प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है :–

परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	लम्बाई, मी.में.	चौड़ाई, मी.में.	रकबा, हे.में.	जी.पी.एस.रीडिंग
उत्तर उकवा	1809	728	8.40	0.612	21°51'23.20" N 80°26'54.95"E
	Total	**728**	**8.40**	**0.612**	

उपरोक्त प्रभावित वनक्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु आवश्यक चौड़ाई में 18 वृक्ष प्रभावित होते है। उक्त मार्ग निर्माण से वन एवं वन्यप्राणियों को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में गैरवनभूमि दक्षिण बालाघाट वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत ग्राम सुंदर, प.ह.नं. 30, तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट में स्थित खसरा नं. 210/1 रकबा 17.401 हेक्टेयर, खसरा नं. 264/1 रकबा 71.854 हेक्टेयर कुल 89.255 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि (मद बड़े झाड़ का जंगल व घास) उपलब्ध कराई गई है। अतः चालीसबोड़ी–कुल्पा–माटे व्हाया बम्हनी मार्ग तक मार्ग निर्माण की अनुमति जनहित को ध्यान में रखते हुये दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :– प्रस्ताव की हार्डकापी 2 प्रतियों में।

(अभिनव पल्लव)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

E:\Sharad\Letter\CCF.docx 193

पृष्ठां. क्रमांक / मा.चि.–1/ 735 बालाघाट, दिनांक 08 / 04 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल की ओर ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. – 02 बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. उपवनमण्डल अधिकारी, उकवा सामान्य उपवनमण्डल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6. वन परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर उकवा सामान्य परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.) बालाघाट

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमण्डल
बालाघाट